

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



मि०न० - 119/2020(2020/00154)

अनवान : -

1. रमेश कुमार पुत्र कालूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र सुलतान जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. अशोक कुमार पुत्र कालूराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादी

श्री राजेश बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय


दिनांक: 01/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु०न० 21 के किला न० 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न० 30 के किला न० 1 ता 10 कुल 5.313 हैक्टेयर, चक 2 बाराणी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा सुलतान की खातेदारी हुआ करती थी। सुलतान से वादभूमि प्रतिवादी कालूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कालूराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कालूराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम को वादी के दादा सुलतान से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 5 डीपीएन के नामान्तरकरण रजिस्टर के क्रमांक 754 एवं चक 2 बाराणी के




उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नामान्तरकरण रजिस्टर के क्रमांक 452 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार पुत्र कालूराम जाति खाती निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2071-74 खाता संख्या 108/111 प्रदर्श 1, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 5 डीपीएन प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 2 बारानी सम्वत 2074-77 खाता संख्या 55/51 प्रदर्श 3, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 बारानी प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु०न० 21 के किला न० 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न० 30 के किला न० 1 ता 10 कुल 5.313 हैक्टेयर, चक 2 बारानी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु०न० 21 के किला न० 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न० 30 के किला न० 1 ता 10 कुल 5.313 हैक्टेयर, चक 2 बारानी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
मादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र० स० 119/2020 अनुवान रमेश कुमार बनाम कालूराम आदि धारा 88 आरटीएक्ट

नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी कालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी रमेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम व प्रतिवादी संख्या 2 अशोक कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। नियमानुसार यदि देय हो तो पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़